

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 07/2019 – केंद्रीय उत्पाद-शुल्क-गै.टे.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.____ (अ). – वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए भी ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क-गै.टे., दिनांक 21 अगस्त 2019, जिससे सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 21 अगस्त 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

नियम 3, उप नियम(1)में अंक, अक्षर और शब्द ‘‘ 31 दिसम्बर, 2019’’ , के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द ‘‘ 15 जनवरी, 2020’’ प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 267/78/19-सीएक्स 8(पार्ट III)]

(अभिषेक द्विवेदी)
उपायुक्त, सीमाशुल्क-8

[प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था]